इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 153] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. 9104-वि. स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 30 मार्च 2012 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०१२

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, २०१२

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०१२ है.

(२) मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ४ का प्रतिस्थापन.

२. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

सत्कार भत्ता, निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता तथा दैनिक भत्ता.

"४ (१) मुख्यमंत्री को पचास हजार रुपये, प्रत्येक मंत्री को तीस हजार रुपये, प्रत्येक राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जाएगा.

(२) मुख्यमंत्री तथा प्रत्येक मंत्री को सत्ताईस हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा प्रत्येक राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को तेईस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

(३) मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को उसकी पदावधि के दौरान राज्य के भीतर एक हजार दो सौ रुपये तथा राज्य के बाहर एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जाएगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मूल्य वृद्धि को देखते हुए, यह समुचित होगा कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के सत्कार भत्ते, निर्वाचन-क्षेत्र भत्ते और दैनिक भत्ते में वृद्धि की जाए. अतएव, यह प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २९ मार्च, २०१२

कन्हैयालाल अग्रवाल
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ में प्रस्तावित प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये १,६२,००,०००/- (रुपये एक करोड़ बासठ लाख) मात्र का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 170] भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2012—चैत्र 11, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2012

क्र. 1987-131-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 18, सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 18 OF 2012

THE MADHYA PRADESH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA) SANSHODHAN VIDHEYAK, 2012.

A bill further to amend the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Sanshodhan Adhiniyam, 2012.

Substitution of Section 4.

2. For Section 4 of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972), the following Section shall be substituted, namely:—

Sumptuary allowance, constituency allowance and daily allowance.

"4. (1) There shall be paid to the Chief Minister a sumptuary allowance of fifty thousand rupees, to each Minister thirty thousand rupees and to each Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary twenty five thousand rupees per mensem.

(2) There shall be paid to the Chief Minister and to each Minister a constituency allowance of twenty seven thousand rupees per mensem and to each of Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary a constituency allowance of twenty three thousand rupees per mensem.

(3) There shall be paid to the Chief Minister, each Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary a daily allowance of one thousand two hundred rupees within the State and one thousand five hundred rupees outside the State per day during the term of office.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Looking to the rise in prices, it would be appropriate to increase the sumptuary allowance, constituency allowance and daily allowance of the Chief Minister, Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Paliamentary Secretaries. It is, therefore, proposed to amend the Madhya Pradesh Mintri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972) suitably.

2. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated the 29th March 2012.

KANHAIYA LAL AGRAWAL
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.